परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या–310(जी)/एलएएस/14–451निस/एलएएस/90 ... सितम्बर,2014

1–प्रधान प्रबन्धक (डा0रा0म0लो0कार्य0/के0कार्य0)
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर।

2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

3–समस्त शाखाधिकारी
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ।

विषयः– परिवहन निगम के विरूद्ध दायर रिट याचिकाओं में समयान्तर्गत प्रतिशपथपत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रायः देखा जा रहा है कि निगम के विरूद्ध योजित याचिकाओं में समयान्तर्गत प्रतिशपथपत्र दाखिल नहीं कराया जा रहा है। मा0 न्यायालय द्वारा समय से प्रतिशपथपत्र दाखिल न किये जाने पर अत्यन्त रोष व्यक्त किया जाता है और कभी–कभी उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिये उच्च अधिकारियों को तलब भी कर लिया जाता है।

गोरखपुर क्षेत्र की याचिका सं0–55865/2011 दिग्विजय नाथ त्रिपाठी, बनाम स्टट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.09.14 की सुनवाई में निगम की ओर से प्रतिशपथपत्र न दाखिल किये जाने के कारण अत्यन्त क्षोभ प्रकट करते हुए मात्र 02 सप्ताह का समय प्रतिशपथपत्र दाखिल करने हेतु दिया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि निगम की ओर से वर्षों पुरानी याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र नहीं दाखिल किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि दाखिल रिट याचिकाओं की सूचना मिलते ही समयान्तर्गत प्रतिशपथपत्र दाखिल किये जांय।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि समस्त याचिकाओं में तत्काल ही प्रतिशपथपत्र दाखिल करा दिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि याचिका दाखिल होने की तिथि से अधिकतम 90 दिन के अन्दर अथवा मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर प्रतिशपथपत्र दाखिल करा दिया जाय। यदि परिवहन निगम की किसी याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा शासन को प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के आदेश दिये जाते हैं, तो आवश्यकतानुसार मुख्य स्थायी अधिवक्ता/उच्चाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर शासन की ओर से प्राथमिकता के आधार पर प्रतिशपथपत्र दाखिल कराया जाय। यदि पाया जाता है कि प्रतिशपथपत्र दाखिल कराये जाने में विलम्ब कारित किया गया है अथवा निर्धारित तिथि पर प्रतिशपथपत्र दाखिल न होने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकूल संज्ञान लिया गया है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

29/09/14
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक